

क्रमांक 1195 गोरखपुर/सा.वि.शा./न.सं. 2012 प्रश्न सं. [क. 931]

प्रति,

अधीक्षक भू-अभिलेख,

भू-अभिलेख शाखा

कलेक्टर निवास

(न.प्र.2)

विषय- मानवीय सुखमंत्री लो की घोषणा क्र. ए 0959 मजरे टोलों को राजस्व आम घोषित करने बाबत ।

- संदर्भ- (1) प्रमुख अधिव न.प्र. शासन राजस्व विभाग संज्ञात्मक सौंपाज का संवत् 2012 कलेक्टर को सौंपित तथा इस कार्यालय को सूचित कर क्र.सं 11-1/2010/सा.वि.शा.6 अंशक दिनांक 8 जुलाई 2011.
- (2) इस कार्यालय को पत्र क्र.सं 261/न.प्र.सा.वि.शा./न.सं./2012 दिनांक 16.4.2012.

उपरोक्त विषय पर संबंधित पत्रों का अध्ययन करने का एक करे । उपरोक्त लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं पञ्चायत कार्यालय में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.8.2012 को आयोजित की गई बैठक में मानवीय सुखमंत्री द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हकित करें, जिन्हें राजस्व आम में परिवर्तित किया जा सकता है ।

अतः मजरे टोलों को राजस्व आम में परिवर्तित के लिये निम्नलिखित शर्तों को मानाये जायें :-

- (अ) वृहत् राजस्व आम से मजरे टोलों की कुली लगभग 2 कि.मी.या अधिक होनी चाहिये ।
- (ब) अधिकांश मजरे जो रहे राजस्व आम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा अधिक हुए उक्त आम की आबादी 300 या अधिक होनी चाहिये ।
- (ग) अधिक प्रत्याय जा रहे, राजस्व आम की शर्तोंनायें मूल आम से एवं अन्य शर्तनायें शर्तों से मिलनी चाहिये, मजरे टोलों से अधिक प्रत्याय जा रहे राजस्व आम की शर्तनायें मूल आम की शर्तों के अन्दर ही स्थित न रहे ।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन मजरे टोलों को राजस्व आम में परिवर्तित करने के लिये निम्नलिखित कार्य कर सूची, एवं सूचित किये जा रहे, नवीन राजस्व आमों के सार्वजनिक की प्रति, के साथ, अधिलेख शाखा निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें ।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व आमों के प्रस्ताव, चिन्हकित मजरे टोलों की नारायण सूची, मानचित्र, सुस्पष्ट हैं, इस तथ्य का विरोधतः ध्यान रखे जाने बाबत अतिरिक्त किया जाता है ।

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं पञ्चायत
मध्य प्रदेश